बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या–व.सं./87/2020

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
बुडको, सुपौल। पटना 14, दिनांक–

विषय – सुपौल नगर परिषद् क्षेत्र में स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज परियोजना निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.09 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Others/45405/2020/4305 दिनांक 19.10.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा भारत सरकार ने विषयांकित परियोजना निर्माण हेतु 0.09 हेक्टेयर वन भूमि के अपयोजन के प्रस्ताव पर सशर्त्त सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की है। स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्त्तों का कंडिकावार अनुपालन आपके स्तर से अपेक्षित है–

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के प्रासंगिक पत्र में अंकित शर्त्त संख्या–2 के आलोक में प्रधान मुख्य बन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या 03 दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं वर्त्तमान मजदूरी पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु रू० 10,06,405/– (रूपये दस लाख छः हजार चार सौ पाँच) मात्र का प्राक्कलन तैयार किया गया है।

3. उक्त राशि का आकलन वर्त्तमान मजदूरी दर रू० 287/प्रतिमानव दिवस पर किया गया है। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर मजदूरी दर में किये जाने वाले वृद्धि के फलस्वरूप क्षतिपूरक वनीकरण मद की राशि संभावित वृद्धि के साथ भुगतेय होगा।

4. परियोजना निर्माण के क्रम में 0.09 हेक्टेयर अपयोजित होने वाली वन भूमि का NPV की राशि 6.26 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से कुल रू० 56,340/– (रूपये छप्पन हजार तीन सौ चालीस) मात्र NPV के मद में प्रयोक्ता एजेन्सी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग को उपलब्ध कराएगी।

5. **उपर्युक्त CA एवं NPV मद की कुल राशि रू० 10,62,745/– (रूपये दस लाख बासठ हजार सात सौ पैतालीस) मात्र को मंत्रालय के वेव–साईट parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांस्फर कर राशि जमा कराई जाय।**

6. उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना हेतु इस कार्यालय को e-challan की मूल प्रति दी जाय।

7. उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रसंगाधीन पत्र में उल्लेखित कंडिका 1 से 13 में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समेकित प्रतिवेदन इस कार्यालय को यथाशीघ्र समर्पित करने की कृपा की जाय ताकि भारत सरकार से विषयाधीन मामले में अन्तिम स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– व.सं./87/2020-951 दिनांक– 21/10/2020

प्रतिलिपि– वन प्रमंडल पदाधिकारी, सुपौल वन प्रमंडल, सुपौल/वन संरक्षक पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ को सानुलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.10.2020

(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।